

भारत छोड़ो आन्दोलन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्व

डॉ. संजय कुमार ठाकुर

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,

सतीश चन्द्र पी.जी. कॉलेज, बलिया

भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में अंकित है जो भारतवासियों की गुलामी की दासतां से अवगत कराता है। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासी खुली सांस लेने के लिए बेचैन थे जिसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्रीय आन्दोलन हुए। राष्ट्रीय आन्दोलनों ने अंग्रेजों की नींद को हराम कर दिया। राष्ट्रीय आन्दोलनों के क्रम में सर्वप्रथम 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसी क्रम में आगे 1920–22 असहयोग आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन, 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन हुए। जितने भी राष्ट्रीय आन्दोलन भारतवर्ष में हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ आन्दोलन भारत छोड़ो आन्दोलन रहा क्योंकि इस आन्दोलन में जन सहभागिता अधिक रही तथा यह आन्दोलन विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं, वर्गवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद की मानसिकता से काफी दूर रहा। यह एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन रहा जिसमें देश की जनता ने खूब बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यह आन्दोलन बलिदान एवं त्याग की भावना से प्रेरित था। किसी भी आन्दोलन के पीछे कुछ कारण अवश्य ही होते हैं। भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत होने के भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो निम्न रूप से प्रकट होते हैं। यदि हम सन् 1942 ई. के आन्दोलन का अध्ययन करें तो क्रांति होने के निम्नलिखित कारण नजर आते हैं:—

1. क्रिप्स मिशन की असफलता : क्रिप्स वार्ता असफल हो गयी थी। क्रिप्स के इस कथन ने कि क्रिप्स योजना को 'स्वीकार करो अथवा छोड़ दो', ब्रिटेन की सच्ची मनोवृत्ति को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर नहीं करना चाहती है। यही नहीं, क्रिप्स महोदय ने क्रिप्स वार्ता की असफलता का समस्त उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाला था। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक 'India wins Freedom' में लिखा है कि,

"अनेक राजनीतिक दलों के साथ लम्बी वार्ताओं का एक मात्र उद्देश्य संसार के देशों के सामने यह सिद्ध करना था कि कांग्रेस भारत की सच्ची प्रतिनिधि संस्था नहीं है और भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ही ब्रिटेन भारत को सत्ता हस्तान्तरित नहीं कर सकता।"

ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिए एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नया आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

2. जापान के आक्रमण के भय : जापान की सेनाएँ निरन्तर आगे बढ़ रही थीं और भारतीय प्रदेशों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। गाँधीजी ने अनुभव किया कि हम भारत की सुरक्षा उसी स्थिति में कर सकेंगे, जब अंग्रेज भारत छोड़ दें।

3. युद्ध में ब्रिटिश सरकार की पराजय : ब्रिटिश सेनाएँ सिंगापुर, मलाया और बर्मा में पराजित हुई थीं। गाँधीजी का विचार था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और हम संकट से बच सकेंगे। गाँधी जी का कहना था कि, 'Leave India to God and if that be too much, leave her to anarchy.'

4. बर्मा में भारतीयों के साथ भेदभाव : बर्मा से जो शरणार्थी भारत आये उन्होंने यहाँ आकर बताया कि उनके तथा यूरोपियनों के बीच भेद-भाव किया गया है। भारतीयों को आने के लिए पृथक और कष्टदायक रास्ते दिया गया था। गाँधी जी ने मई 1942 में लिखा था कि, "भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में जो भेद किया जा रहा है और सेनाओं का जो बुरा व्यवहार है उससे अंग्रेजों के इरादों और घोषणाओं की तरफ अविश्वास बढ़ रहा है।" इस घटना ने भी गाँधी जी को आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया। मि. कणे पं. हृदयनाथ कुँजरू और मि. डाम ने बर्मा में भारतीयों की स्थिति

का अवलोकन कर कहा कि, "भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वे किसी घटिया जाति से सम्बन्धित हों।"

5. पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य : पूर्वी बंगाल में सरकार ने भय और आतंक का राज्य कायम कर रखा था। बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिये उनकी जमीनों से वंचित किया गया। सेना के लिए जिन किसानों के घर खाली कराये गये, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। सरकारी की तानाशाही के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया था।

6. आर्थिक असन्तोष : निराशा के बादल भारतीय क्षितिज पर मंडराने लगे, इसी दौरान जनता के आर्थिक कष्टों में भी वृद्धि हुई। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कागज के नोटों के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका था। देश में चारों ओर असन्तोष का साम्राज्य छाया हुआ था। अतः आर्थिक असन्तोष हिंसक क्रान्ति का रूप ले सकता था।

उपरोक्त कारणों से कांग्रेस ने गाँधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ोआन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक

27 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुई। इस बैठक में सरकारी नीतियों के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया और वर्तमान परिस्थितियों में इंग्लैण्ड को युद्ध में सहयोग न देने की बात की गयी। गाँधी जी ने कहा कि भारत की समस्या का एकमात्र हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में है।

वर्धा प्रस्ताव

गाँधी जी ने जो विचार अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में रखे थे, उनका समर्थन 14 जुलाई 1942 की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किया गया, जो कि वर्धा में हुई थी। 14 जुलाई को कांग्रेस की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव इस प्रकार पारित किया "जो घटनाएँ प्रतिदिन घट रही हैं और भारतवासियों को जो अनुभव हो रहे हैं उनसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यह

धारणा स्पष्ट होती जा रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त अतिशीघ्र होना चाहिये।" भारत से ब्रिटिश सत्ता के उठा लेने का प्रस्ताव पेश करने में कांग्रेस की यह इच्छा नहीं थी कि ब्रिटेन अथवा मित्र राष्ट्रों के युद्ध कार्यों में बाधा पहुँचे या इससे जापान या धुरी समूह के अन्य राष्ट्रों को भारत पर आक्रमण करने या चीन पर दबाव डालने को प्रोत्साहन मिले। इसका उद्देश्य यह भी नहीं था कि भारत के सारे अंग्रेज भारत से चले जाएँ जो भारत में अपना घर बनाकर वहाँ दूसरे के साथ नागरिक और समानाधिकारी बनकर रहना चाहते हैं, यदि यह अपील व्यर्थ गई तो कांग्रेस को अपनी समस्त अहिंसात्मक शक्ति का अनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से गाँधी जी करेंगे।

वर्धा प्रस्ताव के पश्चात्

वर्धा प्रस्ताव के बाद शीघ्र ही आन्दोलन की घोषणा नहीं की, जनता में जागृति उत्पन्न करने और उनके मनोबल को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया। 1 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में 'तिलक दिवस' के अवसर पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चौट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। लेकि हम क्या करें, विवश हैं।" डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसी दौरान कहा था कि, "हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।" सरदार पटेल ने बम्बई में कहा था कि "इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का, किन्तु बड़ा ही भयानक होगा।"

इस प्रकार कांग्रेस के उच्च कोटि के नेताओं द्वारा जनता को यह आभास होने लगा कि कांग्रेस की ओर से एक भीषण आन्दोलन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार भी कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया से उदासीन नहीं थी। उसने सम्बावित जन-आन्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया। वर्धा प्रस्ताव (14 जुलाई 1942) में यह कहा गया था कि 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए 7

अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होगी। इस निश्चय के अनुसार 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। न केवल भारत वरन् सम्पूर्ण संसार की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थीं। भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन की संज्ञा प्रदान की। पंडाल में लगभग 20,000 व्यक्ति थे तथा प्रत्येक प्रांत ने अपने—अपने प्रतिनिधियों का जत्था युद्ध की अंतिम घोषणा सुनने को भेजा था। 8 अगस्त को अत्यन्त विचार-विमर्श के बाद ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया—

"भारत में ब्रिटिश शासन का तत्कालिक अंत भारत के लिए तथा मित्र राष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है....। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य, स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है।.... अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने की माँग को दोहराती है.... आधुनिक साम्राज्यवाद का केन्द्र बिंदु भारत अब समस्या का मुख्य विषय बन गया है।..... अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश के प्रमुख राजनैतिक दलों तथा वर्गों से एक अस्थायी सरकार का निर्णय लिया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सैनिक तथा अहिंसात्मक शक्ति के प्रयोग से विदेशी आक्रमण के विरुद्ध देश की सुरक्षा करना होगा।"

क्योंकि यह आशा की जाती थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर आसानी से नहीं जायेंगे, अतः एक जन-आन्दोलन भी चलाने का निश्चय किया गया, जिसकी तिथि की घोषणा नहीं की गयी थी, क्योंकि गाँधी जी आन्दोलन छेड़ने के पहले एक बार सरकार से अंतिम बार बात कर लेना चाहते थे। महात्मा गाँधी ने समिति के समक्ष 8 अगस्त 1942 की रात में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा— "मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ.... आजादी? नहीं देना है, तो कत्तल करें। मैं वह गाँधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर आ जाएँ। आपको तो मैं एक मंत्र देता हूँ 'करेंगे या मरेंगे'। जेल को भूल जाएँ सुबह—शाम यही कहें, कि खाता हूँ पीता हूँ साँस

लेता हूँ तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं, उन्हीं ने जीने की कला जानी है। आज से तय करें कि आजादी लेनी है। नहीं लेनी है, तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जन्दा रह सकते हैं। हम चीटियाँ नहीं, हम हाथी से बड़े हैं, हम शेर हैं। गाँधी जी ने भारवासियों को 'करो या मरो' का संदेश दिया अर्थात् या तो स्वाधीनता प्राप्त कर लो अथवा मर जाओ, परन्तु उन्होंने सदा यह कहा कि कार्यवाही हिंसात्मक न हो।

अगस्त क्रान्ति और सरकार का दमनचक्र

9 अगस्त को प्रातःकालीन सूर्य के दीदार से पूर्व जहाँ एक ओर बम्बई महानगरवासी गहरी निद्रा में सोये थे, वहीं दूसरी ओर गाँधी जी को नजरबंद तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं तथा नेहरू जी, मौलाना आजाद, पटेल जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बन्दी बनाया गया। जेल जाते वक्त गाँधी जी के साथ देश की जनता के लिए तो कुछ था नहीं, सिर्फ एक मंत्र दिया, 'करो या मरो'। गाँधी जी का यह मंत्र जंगल की आग की भाँति समस्त भारत में फैल गया और देश की जनता ने इसे गाँधी जी का आदेश मानकर शिरोधार्य किया तथा सर पर कफन बाँधकर लाखों लोग गाँवों, कर्सों और शहरों में निकल पड़े। क्या करना है? कोई नहीं जानता है। लेकिन मातृभूमि के लिए अपने आपको उत्सर्ग कर देना है, यह भूत सब पर सवार था। एक अजीब समाँ पूरे देश में पैदा हो गया। हर शख्स नेता बन गया और हर चौराहा करो या मरो का दफतर। देश में जगह—जगह रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं, ट्रेनें लूटी गईं, टेलिफोन के तार नोचे गये, थानों पर कब्जा किया गया। कचहरियाँ वीरान थीं। धुआँधार गोलियाँ चल रही थीं। चारों ओर से लोगों की वीरता और प्रशासनिक नृशंसता के ऐसे समाचार मिल रहे थे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ज्यों—ज्यों प्रशासन आन्दोलन को दबाने की हिंसात्मक कोशिश करता, त्यों—त्यों आन्दोलनकारी उम्र से उग्रतर होते जाते। यूँ तो यह आन्दोलन अगस्त 1942 से लेकर फरवरी 1943 तक हिंसात्मक रूप में समस्त भारत में चलता

रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बंगाल आदि में इसकी तीव्रता कहीं अधिक थी। पटना के नौजवान छात्रों ने तो अपने बलिदान से इतिहास को भी थर्रा दिया।

आन्दोलन की उग्र रूप फरवरी 1943 के सरकारी औंकड़ों से स्पष्ट होता है, जिनमें कहा गया है कि—“1942 के आन्दोलन में पुलिस और सेना द्वारा 538 बार गोलियाँ चलाई गई जिसके फलस्वरूप 950 व्यक्ति मरे और 1,360 घायल हुए। 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 200 स्टेशन नष्ट कर दिये गये, 550 डाकखानों पर हमला किया, जिसमें से 50 पूरी तरह नष्ट हो गये और 200 को भारी क्षति पहुँची। 3,500 स्थानों पर तार और टेलीफोन की लाइनों को काटा गया। 70 थाने और 85 दूसरी सरकारी इमारतों को जला दिया गया।”

सरकार का दमन भी उतना ही उग्र रहा। माइकेल ब्रेचर ने लिखा है कि— “संक्षेप में, सभी जगह सरकारी दमन अत्यधिक कठोर था और 1857 के विद्रोह के पश्चात् भारत में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सबसे बड़े विद्रोह का सामना करने के लिए पुलिस राज्य स्थापित किया गया।” पंडित नेहरू ने भी लिखा है कि— “सभी परम्पराएँ और छल-कपट, जो प्रायः शासन के कार्यों को ढंके रहते हैं, उन्हें दूर कर दिया और केवल नग्न शक्ति सत्ता की प्रतीक बन गई।”

सरकार ने अपनी दमन नीति से आन्दोलन को खुले तौर पर तो दबा दिया परन्तु यह आन्दोलन शीघ्र ही भूमिगत हो गया। श्री जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया, श्रीमती अरुणा आसिफ अली आदि समाजवादी नेताओं ने छिपकर आन्दोलन का संचालन किया।

आन्दोलन का महत्त्व

1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था, यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति में आन्दोलन सफल न रहा, फिर भी इस आन्दोलन के दूरगामी परिणाम निकले—

1. अगस्त क्रांति ने देश की जनता में असाधारण

जागृति उत्पन्न की।

जनता में ब्रिटिश शासन का सामना करने की शक्ति में निखार आ गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि—“आन्दोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के साहस और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई।”

3. क्रांति का क्षेत्र तथा प्रभाव देशव्यापी था। शासन को स्पष्ट हो गया कि अब जन असन्तोष चरम बिन्दु पर पहुँच गया है। दमन और अत्याचार असंतोष को रोक नहीं पायेंगे। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि—“अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था जिसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बेस्टिले के पतन अथवा सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है।” सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी कहा है कि—“भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में इस प्रकार का आन्दोलन कभी नहीं हुआ जैसा कि गत तीन वर्षों में हुआ है। जनता ने जो प्रतिक्रिया की है, उस पर हमें गर्व है।” पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा—“1942 में जो कुछ हुआ उस पर हमें गर्व है ...मैं उन लोगों की निन्दा नहीं कर सकता, जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लिया है।”

4. इस आन्दोलन की तीव्रता और शासन के दमन के समाचारों ने स्वयं ब्रिटेन की जनता का ‘भारत की स्वाधीनता’ के पक्ष में जनमत तैयार किया। दूसरी ओर चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को भारत को शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता देने के समाचार भेजे। इस प्रकार विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में इस आन्दोलन ने भूमिका निभाई।

5. अगस्त आन्दोलन ने भारतीय जनता को ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ का द्वीप प्रज्ञलित करने की प्रेरणा दी। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है—“1942 के विद्रोह की अग्नि में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात भस्म हो गयी। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को महान धक्का था।”

भारत छोड़ो आन्दोलन इतना सशक्त था कि अंग्रेजों की सत्ता हिल-सी गई। यह एक जन आन्दोलन रहा जिसकी व्यापकता एवं प्रसार राष्ट्र के कोने-कोने तक था। शायद यही वजह है कि सन् 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। इसी आन्दोलन के कुछ ही वर्षों बाद 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा तथा भारतवासियों को आजादी मिल गई।

राष्ट्र की स्वाधीनता महात्मा गाँधी की नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। साथ ही उनके सिद्धान्त सत्य, अहिंसा, राष्ट्रीय आन्दोलनों को आगे बढ़ाने में आधार की भूमिका निभाए। सत्याग्रह महात्मा गाँधी का एक महत्वपूर्ण हथकण्डा था जिसके बल पर राष्ट्रीय आन्दोलनों का सहारा मिला। गाँधी जी जानते थे कि हिंसक आन्दोलन अंग्रेजों की तापों एवं बन्दूकों के आगे कुचल दिये जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया। शायद यही ऐसा अस्त्र था जिसके आगे अंग्रेज झुकने को मजबूर हो गए एवं भारत छोड़ो आन्दोलन के पश्चात् भारतवासियों को आजादी प्रदान करने का मन बना लिए। अहिंसक आन्दोलन से प्राप्त आजादी स्थायित्व वाली होगी यह बात गाँधी जी बखूबी जानते थे। महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनके सामने जाने वाला हर व्यक्ति अपने को बौना ही समझता था। उनके विरोधी भी उनके समक्ष पहुँच जाने पर उनके समर्थक बन जाया करते थे।

महात्मा गाँधी एक जन-नेता थे जिनकी अगुवाई में प्रौढ़, बच्चे, वृद्ध सभी ने बढ़-चढ़कर भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी आजादी के लिए सहर्ष कुर्बानियाँ दीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि करिश्माई

व्यक्तित्व के धनी महात्मा गाँधी का योगदान राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ रहा है। शायद इसीलिए अल्बर्ट आइन्सटीन जैसे महान वैज्ञानिक ने महात्मा गाँधी के बारे में यह कह दिया कि "शायद आने वाली पीढ़ी इस बात पर विश्वास न कर सके कि हाड़-माँस का बना हुआ कोई व्यक्ति महात्मा गाँधी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था।"

संदर्भ

1. इन्द्र विद्यावाचस्पति—भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1960
2. शंकर दयाल सिंह—भारत छोड़ो आन्दोलन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2006
3. प्रभात कुमार—स्वतंत्रता संग्राम और गाँधी का सत्याग्रह, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994
4. आर.सी. अग्रवाल—भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस. चन्द एण्ड कं. लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1980
5. डॉ. अम्बा प्रसाद — द इण्डियन रिवोल्ट ऑफ 1942, एस. चन्द एण्ड कं.लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1958
6. पुखराज जैन—भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, साहित्यीवन, आगरा, 1981
7. प्रो. सी.पी. शर्मा एवं श्रीमती शशिप्रभा शर्मा—भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, यूनिवर्सल बुक डिपो, ग्वालियर, 1982